मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयः जबलपुर

// निविदा आमंत्रण सूचना //

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के उपयोग हेतु मासिक एवं दैनिक दरों पर तीन 7/8 सीटर (ए.सी.) वाहन तथा 32/35 सीटर (ए.सी.) बस हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। उक्त संबध में विस्तृत निविदा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं शासकीय निविदा पोर्टल www.tenders.gov.in. पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी सीलबंद निविदाये पूर्ण विवरण सहित दिनांक 15.11.2017 को दोपहर 01:00 बजे या इसके पूर्व संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के नाम से प्रस्तुत कर सकते है।

प्रभारी निदेशक
म.प्र.राज्य न्यायिक अकादमी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
जबलपुर

प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी निविदा का प्रारूप

इस निविदा में रूचि रखने वाली संस्था/कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की आपूर्ति की जानी है :–

1. निविदाकर्ता या ठेकेदार का नाम तथा पताः– ....
....
....
....

2. व्यवसाय का प्रकार :– ....

3. वस्तु व सेवा कर (GST) पंजीयन संबंधित विवरण :– ....
....
....

4. ठेकेदार द्वारा स्वयं के वाहन न होने की दशा में वाहन के वास्तविक मालिक के साथ ठेकेदार द्वारा वाहन को ठेकेदार के द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति वाला अनुबंध पत्र संलग्न (है या नहीं)

वाहन के वास्तविक स्वामी की जानकारी :–

(I) (1) वाहन क्रमांक (2) कंपनी (3) मॉडल
विवरण –
....
नाम :– ....
पताः– ....
....

(II) (1) वाहन क्रमांक (2) कंपनी (3) मॉडल
विवरण –
....
नाम :– ....
पताः– ....
....

(III) (1) वाहन क्रमांक (2) कंपनी (3) मॉडल
विवरण–
....
नाम :– ....
पताः– ....
....
....

5. पूर्व में किसी संस्था/कंपनी को किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी (संस्था का नाम, पता तथा समयावधि जिसके लिए वाहन किराये पर प्रदाय किया गया) :–
....
....
....
....

निविदाकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरी

प्रस्तुत की जाने वाली मूल्य निविदा का प्रारूप

इस निविदा में रूचि रखने वाली संस्था/कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की आपूर्ति की जाती है :–

1. निविदाकार का नाम, पता तथा फोन नं0 ....

....

....

....

2. निविदाकार का आयकर पेन नं0 ....

3 निविदाकार का जी0एस0टी0 पंजीयन क0 ....

4. पार्टनर/प्रोपराईटर/डायरेक्टर के नाम तथा पता ....

....

....

....

5. वाहन हेतु दर सूची (जी0एस0टी0 को शामिल करते हुए)

मासिक दर (3 वाहनों के लिये मात्र)

(शिक्षा सत्र के दौरान आवश्यकता अनुसार)

एयर कंडीशंड 7/8 सीटर टोयोटा इनोवा/टाटा हेक्सा वाहन के किराए की दर (समस्त व्यय, खर्चो, करो सहित)

क्र.	**विवरण**	**मसिक दर (प्रति वाहन)** (सभी करों, व्ययों, खर्चो सहित)
1	700 किलोमीटर प्रतिमाह दूरी के अनुसार जिसमें प्रतिदिन 12 घंटे ड्राइवर की उपलब्धता बनी रहेगी।	
2	12 घंटे के पश्चात् ड्राईवर का हॉल्टिंग चार्ज	
3	प्रत्येक तिमाही में 700 किलोमीटर प्रतिमाह की दूरी के पश्चात् तय की गई अतिरिक्त दूरी हेतु प्रति कि.मी. के हिसाब से राशि की दर *	

***शर्त क्रमांक 21 के अनुसार**

(3)

दैनिक दर (आवश्यकतानुसार)

क्र.	वाहन का विवरण		वाहन की आवश्यकता का विवरण	**दैनिक दर** (सभी करों, व्ययों, खर्चों सहित)
1	7/8 सीटर टाटा हेक्सा/ टाटा इनोवा वाहन (ए.सी.)	1	प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 12 घंटे तक)	
		2	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3	12 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	
2	20/25 सीटर मिनी बस (ए.सी.)	1	प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 12 घंटे तक)	
		2	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3	12 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	
3	32/35 सीटर पैसेंजर बस (ए.सी.)	1	प्रति कि.मी. दर (80. कि.मी. एवं 12 घंटे तक)	
		2	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3	12 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	

यह दरें वित्तीय वर्ष 2018 के अंत तक प्रभावी रहेंगी। मैंने निविदा प्रलेख में उल्लेखित सभी शर्तें पढ़ ली है और उन्हें पूरी तरह से मान्य करता हूँ।

दिनांक –

निविदाकर्ता का नाम हस्ताक्षर

पता

7/8 सीटर ए0सी0 टोयटा इनोवा/टाटा हेक्सा वाहन मासिक किराये एवं दैनिक दर पर वाहन किराये पर लेने हेतु आवश्यक शर्तें/नियम

निविदा में भाग लेने वाली संस्था/कंपनी को निम्न शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध करवाने में सक्षम होना चाहिए :—

1 प्रदाय किये जाने वाले वाहन का मेक व मॉडल पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए तथा वाहन का मॉडल नियोजन से दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। वाहन का वैध टैक्सी परमिट होगा।

2 सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्तानुसार कुल तीन (03) वाहन मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो इस स्थिति में निम्न बोली लगाने वाले पश्चात्वर्ती बोलीदाता को अवसर प्रदाय किया जावेगा।

3 वाहन का उपयोग संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के निर्देश अनुसार होगा।

4 किराये की दर में वाहन हेतु एक ड्राईवर, वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव, बीमा, पेट्रोल या डीजल, ऑईल तथा अन्य सभी अनुषंगिक व्यय शामिल होंगे।

5 किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्पन्न समस्त दावे ठेकेदार या विक्रेता द्वारा स्वयं वहन किये जावेंगे। म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी या म0प्र0 उच्च न्यायालय का कोई दायित्व नहीं होगा।

6 वाहन को बिलकुल साफ–सुथरा तथा एकदम सही हालत में रखा जाना होगा। वाहन हेतु आवश्यक सीट कवर, पर्दे तथा अन्य सहायक उपकरण हमेशा उपलब्ध होना निश्चित किया जावेगा। वाहन का एयर कंडीशनर पूरे समय सही व चालू हालत में होगा।

7 अगर कोई वाहन व्यवस्था से बाहर चला जाता है या बंद हो जाता है तो ठेकेदार को स्थानापन्न एक अन्य वाहन शीघ्र ही उपलब्ध करवाना होगा। अगर वाहन को उसी दिन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, को यह अधिकार होगा कि वो बाजार से अन्य वाहन किराये पर ले लेवें। इस स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा जो राशि व्यय की जावेगी, वो संबंधित ठेकेदार से वसूली जावेगी।

8 मासिक दर पर वाहन किराये पर लेने पर देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में ठेकेदार द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर द्वारा किया जावेगा। यह भुगतान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पास पर्याप्त मात्रा में धन होने के स्थिति पर निर्भर करता है। भुगतान में विलंब हेतु मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, म0प्र0 उच्च न्यायालय किसी क्षतिपूर्ति का दायी नहीं होगा।

9 वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए तथा वाहन को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वाहन संबंधित विभागों से तथा आरटीओ से पंजीयन होना चाहिये। वाहन के संबंध में सभी मोटर यान अधिनियम व अन्य नियमों का परिपालन ठेकेदार का दायित्व होगा। इस संबंध में म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म0प्र0 का कोई दायित्व नहीं होगा।

10 मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा ठेकेदार के मध्य होने वाला अनुबंध कम से कम 60 दिवस की पूर्व सूचना पर ठेकेदार द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना, बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

11 इस परिपत्र में वर्णित किसी भी शर्त का अनुपालन न होने के स्थिति में ₹ 500/– रूपये प्रति दिवस के आधार पर पेनाल्टी लगाई जावेगी। परिपत्र में वर्णित नियमों/स्थितियों का बार–बार उल्लंघन करने पर अनुबंध को बिना कोई सूचना दिये समाप्त कर दिया जावेगा।

12 वाहन चालक को ड्यूटी पर समस्त शिष्टाचार तथा प्रोटोकाल संबंधी नियमों को पालन करना होगा तथा साफ, स्वच्छ सफेद वर्दी पहनना होगी। वाहन चालक के पास एक मोबाईल फोन जो कि चालू हालत में होना चाहिए। इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

13 सफल बोलीदाता/ठेकेदार तथा वाहन चालक को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा अधिकारियों के निर्देश मानने होंगे।

14 मासिक किराये के वाहन के सफल बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा एक लॉग बुक का संस्थापन किया जावेगा जिसमें गाड़ी के माईलेज का विवरण दर्शाया जावेगा जो संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी। बिल का भुगतान लॉग बुक में दर्शाये गये किलोमीटर के अनुसार किया जावेगा। वाहन का अनाधिकृत उपयोग सफल बोलीदाता/ठेकेदार अथवा वाहन चालक द्वारा किये जाने पर उसका कोई भी अतिरिक्त भुगतान मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा नहीं किया जावेगा।

15 दोनों निविदाएँ तकनीकी व मूल्य निविदा साथ–साथ खोली जावेंगी व विचार में ली जावेगी। संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पास किसी भी प्रस्ताव/निविदा को बगैर किसी कारण के स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

16 सफल बोलीदाता/ठेकेदार को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा अनुबंध प्रदान करने के पश्चात् ठेकेदार द्वारा अनुबंध को संपादित करने के पूर्व किराये पर दी जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन, संपूर्ण बीमा पॉलिसीयों तथा वाहन चालकों के वैद्य ड्राईविंग लायसेंस की प्रतियां मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के समक्ष जमा की जावेगी। वाहन को उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, के पास भौतिक

सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। सफल बोलीदाता/ ठेकेदार के द्वारा वाहन चालक का पुलिस सत्यापन कराकर स्वयं प्रस्तुत करना होगा।

17 मासिक दर पर वाहन किराये हेतु सफल बोलीदाता/ठेकेदार के द्वारा ₹ 30,000/– की अनुबंध सुरक्षा राशि निविदा स्वीकृति के समय व वार्षिक अनुबंध के पूर्व जमा करनी होगी।

18 यह अनुबंध वित्तीय वर्ष 2018 के अंत तक प्रभावशील होगा जब तक कि अनुबंध को खंड क्रमांक 11 के अनुसार समाप्त न कर दिया जावेगा। इस अनुबंध को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा सफल बोलीदाता की पारस्परिक सहमति होने पर तथा संतोषजनक कार्य होने पर अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

19 सफेद रंग के वाहन को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

20 पूर्व मे जिन ठेकेदार द्वारा अनुबंध का निष्पादन शर्तो के अनुसार नहीं किया गया है वह भविष्य में निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

21 यदि एक माह में एक इनोवा वाहन के द्वारा 700 कि0मी0 की दूरी तय नहीं की जाती है तो शेष बची हुई दूरी अगले माह की 700 कि0मी0 की दूरी में जुड़ जावेगी। ऐसा लगातार 3 माह तक किया जा सकेगा। यदि 3 माह तक भी उक्त समस्त दूरी का उपयोग नहीं हो पाता है तो उक्त जुड़ी हुई दूरी समाप्त हो जावेगी।

22\. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्ताव में उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी। यदि पूर्वोक्त शर्तें मान्य है तो ही निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

23\. दरें अंतिम होने के बाद निविदाकर्ता द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

प्रभारी निदेशक
म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी,
म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर